By Speed Post

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. KS/3/2017/STGUL/SEOTH/RU-I Date: 15/05/2018

To

1. The Additional Chief Secretary,
Public Works Department,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat,
Dehradun,
(Uttarakhand).

2. The Labour Commissioner,
Govt. of Uttarakhand,
Shram Bhawan,
Nainital Road, Haldwani,
(Uttarakhand).

3. The Senior Superintendent of Police,
District - Dehradun,
Dehradun – 248183 (Uttarakhand).

Sub: Representation dated 20/09/2017 received from Shri Khajan Singh, R/o Gram - Saavara, Post-Sujou, Tehsil-Chakrata, District Dehradun-248183 Uttarakhand regarding non-payment of wages of workers working with the Contractor (Shri Anil Jetali).

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi on 08/05/2018 at 2:00 P. M. under the Chairmanship of Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent to the NCST at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director
Tel: 011-24641640.

Copy for necessary action to:

1. Shri Anil Jaitely,
Director,
M/s. Link Enterprises/RRC,
Basant Vihar, Railway Road,
Jwalapur, Haridwar - 249407
(Uttarakhand)
Fax No. 01334-255501.
Email: link_enterprises9@rediffmail.com

2. Shri Khajan Singh,
R/o Gram - Saavara,
Post-Sujou,
Tehsil-Chakrata,
District Dehradun-248183
Uttarakhand.

3. Shri Dalip Singh,
C/o Vyas Nehari,
Indra Colony, Kalasi,
District – Dehradun,
(Uttarakhand).

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director
Tel: 011-24641640.

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (for hosting on Commission's website)

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- KS/3/2017/STGUL/SEOTH/RU-I)

श्री खजान सिंह, ग्राम- सावरा, पोस्ट- सुजोऊ, तहसील- चकराता, जिला-देहरादून (उत्तराखंड) को मुख्य ठेकेदार द्वारा मजदूरी का भुगतान नही किये जाने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 08/05/2018 दोपहर 2:00 बजे को लोकनायक भवन नई दिल्ली में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 08/05/2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री खजान सिंह, ग्राम- सावरा, पोस्ट- सुजोऊ, तहसील- चकराता, जिला-देहरादून (उत्तराखंड) ने ठेकेदार श्री अनिल जेटली, निवासी ज्वालापुर, वसंत विहार, हरिद्वार (कंपनी- लिंक इंटरप्राइजेज़) द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने के मामले में दिनांक 20.09.2017 का अभ्यावेदन आयोग मे प्राप्त हुआ।

2. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार करते हुए नोटिस दिनांक 16.10.2017 द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड सरकार, श्रम आयुक्त, उत्तराखंड सरकार और निदेशक, लिंक इंटरप्राइजेज, हरिद्वार से 15 दिनों के अन्दर जानकारी मांगी। इसके प्रत्युत्तर मे उपरोक्त विभागों से कोई जवाब नही आया। श्री खजान सिंह ने आयोग से दुबारा न्याय दिलाने हेतु निवेदन किया।

3. उपरोक्त प्रकरण पर माननीय उपाध्यक्ष, सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 13.11.2017 तथा 17.11.2017 को आयोग मे संबंधित विभाग के लोगों के साथ तथा अभ्यावेदक श्री खजान सिंह के साथ विस्तृत चर्चा की गयी। आयोग ने मामले में सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों को जाचने के पश्चात्, यह पाया कि:

> "दोनों पक्षों के बीच का मामला केवल दो निजी पक्षों का व्यावसायिक मामला नहीं है. क्योंकि श्री खजान सिंह के किये कार्यों को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया है। साथ ही दोनों के बीच एक समझौते के द्वारा कार्य का कॉन्ट्रेक्ट किया गया है। अभ्यावेदक श्री खजान सिंह के बकाये राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की मजदूरी भुगतान में किया जाना है। आयोग ने यह भी पाया कि लगातार आयोग और श्रम आयुक्त

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

की सिटिंग से ठेकेदार श्री अनिल जेटली की अनुपस्थिति भी इस मामले में गंभीर है। अतः आयोग यह अनुशंसा करता है कि, लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त ठेकेदार और उनके संयुक्त उपक्रम को किसी प्रकार के भुगतान को तत्काल प्रभाव से रोके और जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता है, उक्त कंपनी और ठेकेदार के साथ कोई भी कॉन्ट्रेक्ट या भुगतान कार्य का सम्पादन नही किया जाय. साथ ही आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि श्रम आयुक्त दिनांक 21.11.2017 को नियत सीटिंग की कार्यवाई से आयोग को तत्काल अवगत कराएं. साथ ही आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि यदि मुख्य ठेकेदार श्री अनिल जेटली अभ्यावेदक श्री खजान सिंह के बकाये राशि का भुगतान 15 दिन के अन्दर नहीं करते तब ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रेक्टर के सिक्योरिटी डिपौजिट राशि जो कुल कॉन्ट्रेक्ट की राशि का 10% होता है में से उक्त बकाये का भुगतान सम्बंधित विभाग श्री खजान सिंह को नियमानुकूल करे. इसमे विफलता सिद्ध होने पर आयोग सभी सम्बंधित पक्षों को सम्मन जारी कर आयोग में उपस्थित करने का आदेश देगा. साथ ही साथ चूंकि बकाये राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति के मजदूरों की मजदूरी के भुगतान में किया जाना है और प्रतिवादी द्वारा इसे रोक कर रखा गया है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के मजदूरों के प्रति अत्याचार की श्रेणी में आता है. ऐसी स्थिति में यदि इस राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा तक नहीं किया जाता तब आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सम्बंधित प्रतिवादी पर कार्यवाई की अनुशंसा करेगा".

4. उपरोक्त सिटिंग की कार्यवृत्त आयोग के पत्र दिनाँक 30/11/2017 द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, पी. डबल्यू. डी., उत्तराखण्ड सरकार, श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड सरकार, हल्द्वानी, निदेशक, मेसर्स लिंक इंटरप्राइजेज़, हरिद्वार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला-देहरादून को अग्रसारित करते हुए आवश्यक कार्यवाई रिपोर्ट 15 दिन के अंदर भेजने का निवेदन किया गया था। पत्र की प्रतिलिपि के साथ कार्यवृत्त की प्रति, श्री खजान सिंह को भी भेजी गयी।

5. आयोग की सिटिंग दिनाँक 13/11/2017 तथा 17/11/2017 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुतियों के विरुद्ध, मेसर्स लिंक इंटरप्राइजेज़, हरिद्वार ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में रिट पिटीशन संख्या 890/2018 दायर की थी। इस रिट पिटीशन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रथम प्रतिवादी बनाया। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने दिनाँक 31/01/2018 के आदेश द्वारा रिट पिटीशन को डिस्मिस करते हुए निम्न आदेश पारित किया:

"My attention in this regard has also been drawn to Clause 11 of the said agreement. Having regard to the submission made, I

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

have put to learned counsel for the petitioners as to whether they would like to approach Respondent No. 1 once again so that these facts could be placed on record.

Counsel for the petitioners says that he would approach the Respondent No. 1 and place the entirety of facts including the fact that aforementioned agreement obtained between the petitioner No. 2 and Respondent No. 2 for resolution of disputes.

Accordingly, the writ petition and pending application are dismissed as withdrawn, as prayed, giving liberty to the petitioner to approach Respondent No. 1 for recall of its direction contained in the impugned minutes dated 13/11/2017 and 17/11/2017".

6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिया प्रकरण में चर्चा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, पी. डबल्यू. डी., उत्तराखण्ड सरकार, श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड सरकार, हल्द्वानी, निदेशक, मेसर्स लिंक इंटरप्राइजेज़, हरिद्वार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला-देहरादून के साथ सिटिंग दिनाँक 22/03/2018 को 3:00 बजे लोकनायक भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाए। इसकी सूचना सभी संबन्धित को दिनाँक 07/03/2018 को भेजी गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने मेसर्स लिंक इंटरप्राइजेज़, हरिद्वार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया कि उपरोक्त सिटिंग को दिनाँक 20/04/2018 समय 3:00 बजे जिला कलेक्टर, हरिद्वार के कार्यालय में आयोजित की जाए, आयोग ने सूचना दिनाँक 05/04/2018 द्वारा उपरोक्त सभी संबंधितों को सूचित किया। उपाध्यक्ष महोदया ने सिटिंग को दिनाँक 19/04/2018 को करने के लिए आदेश दिया, आयोग ने पुनः सूचना दिनाँक 10/04/2018 द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया। मेसर्स लिंक इंटरप्राइजेज़, हरिद्वार ने पत्र संख्या LE/HRD/18-19/017 दिनाँक 17/04/2018 द्वारा आयोग को सूचित किया कि वह आने में असमर्थ हैं क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल ने एक दूसरा केस लगा हुआ हैं। माननीय उपाध्यक्षा महोदया ने पुनः दिनाँक 08/05/2018 को 2:00 बजे, नई दिल्ली में सभी संबंधितों के साथ चर्चा करने के लिए सिटिंग आयोजित करने का निर्देश दिया। आयोग ने सूचना दिनाँक 18/04/2018 द्वारा सभी संबंधितों को सिटिंग की जानकारी भेजी।

7. सिटिंग में पी. डबल्यू. डी. के प्रतिनिधि, श्रमायुक्त के प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक जिला - देहरादून के प्रतिनिधि, श्री अनिल जेटली, मेसर्स लिंक इंटरप्राइजेज़, हरिद्वार, श्री खजान सिंह (अभ्यावेदक) तथा उसके अन्य सहयोगी उपस्थित हुए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

8. माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने श्री अनिल जेटली से मामले में आयोग के सामने उपस्थित न होने के कारण तथा अपनी समस्याएं बताने को कहा। श्री अनिल जेटली ने कहा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका तथा यह सूचित किया की आवेदक श्री खजान सिंह द्वारा दिये गए तथ्य निराधार हैं तथा श्री खजान सिंह मुझसे कभी भी मेरे निवास स्थान पर मिल सकते हैं। मैं हमेशा श्री खजान सिंह से मिलने के लिए तैयार हूँ। श्री खजान सिंह को रोड बनाने का ठेका दिया गया था, उन्होने रोड ठीक से नहीं बनायी और अधूरा काम छोड़ दिया था जिसका खामियाजा स्वयम मुझे भुगतना पड़ा।

9. उपाध्यक्ष महोदया ने श्री खजान सिंह से अपनी समस्याएँ बताने को कहा। श्री खजान सिंह ने पुनः अपने पैसे वापिस दिलाने की बात कहीं तथा बताया की मज़दूरों ने उनके विरुद्ध न्यायालय में मज़दूरी न देने का आरोप लगाते हुए केस दायर कर दिया। मेसर्स लिंक इंटरप्राइजेज़ (हरिद्वार) के कर्मचारियों द्वारा केस वापिस लेने को कहा जाता हैं अन्यथा जान से मार दूँगा की धमकी दी जाती हैं।

10. माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने श्रमायुक्त के प्रतिनिधि से वस्तुस्थित पर प्रकाश डालने को कहा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तराखण्ड ने बताया दोनों पक्षों के बीच बातचीत हेतु दिनाँक 07/05/2018 की तिथि निश्चित की गयी थी परन्तु कारणवश सिटिंग / मीटिंग नहीं हो सकी हैं। आयोग को मामले में की गयी कार्यवाई से अवगत कराया जाएगा।

11. माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने पी. डबल्यू. डी. के प्रतिनिधि से प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। प्रतिनिधि ने आयोग को अवगत कराया कि, यह मामला मेसर्स लिंक इंटरप्राइजेज़, हरिद्वार तथा श्री खजान सिंह के मध्य का हैं इसमे उनके विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं बनता, क्योंकि "Contract Agreement" Asian Development Bank, PWD, Govt. of Uttarakhand तथा M/s. RRC Link, Railway Road Haridwar के बीच हुआ है। PWD से उपरोक्त ठेकेदारों से लेना देना नहीं है।

12. माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने उपस्थित पुलिस अधिकारी से, श्री खजान सिंह को दी गयी सुरक्षा के बारे में पूछा। एस आई ने अवगत कराया कि श्री खजान सिंह को पुलिस द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी हैं तथा मामले में निगरानी कर रही है।

13. सिटिंग में चर्चा के दौरान, श्री अनिल जेटली ने निवेदन किया कि वह मामले में श्री खजान सिंह एवं श्री दलीप सिंह तथा उनके अन्य साथियों के साथ निश्चित तिथि पर लेन देन का हिसाब किताब करना चाहते हैं क्योंकि सभी लोगों को ठेकेदारी कार्य के माध्यम से जानते हैं।

सुश्री अनुसुईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

14. दोनों पक्षों तथा उत्तराखंड राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सुनने के बाद, आयोग ने निम्न सुझाव / संस्तुतियाँ की:

(1) PWD विभाग, श्री खजान सिंह द्वारा बनायी गयी रोड के निरस्तीकरण का प्रमाणपत्र आयोग को उपलब्ध कराएगा।

(2) श्री अनिल जेटली द्वारा किए गए निवेदन के अनुसार, वह दिनांक 16 मई 2018 को श्री खजान सिंह के साथ बैठ कर लेन देन के मामलें का निस्तारण करेंगे। साथ ही श्री दलीप सिंह के लेनदेन के हिसाब किताब का भी निस्तारण करेंगे। इस संबंध में दोनों पक्ष उक्त बैठक के परिणाम से यथाशीघ्र आयोग को सूचित करेंगे इसके उपरांत आयोग अगली कार्यवाई पर विचार करेगा।

(3) श्री खजान सिंह को पुलिस विभाग द्वारा दिनाँक 16 मई 2018 को निर्धारित बैठक में और आवश्यकतानुसार सुरक्षा उपलब्ध करायी जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- KS/3/2017/STGUL/SEOTH/RU-I)

श्री खजान सिंह, ग्राम- सावरा, पोस्ट- सुजोऊ, तहसील- चकराता, जिला देहरादून, उत्तराखंड द्वारा ठेकेदार द्वारा मजदूरी का भुगतान नही किये जाने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 08/05/2018 समय 2:00 बजे को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली

1. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
3. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
5. श्री आर एस मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक

PWD विभाग, उत्तराखंड सरकार

1. श्री एस के बिरला, सी. ई./पीडी पी.डबल्यू.डी, देहरादून
2. श्री दिनेश बिजलवान, ई. ई., एडीबी पी.डबल्यू.डी, उत्तराखण्ड
3. श्री एस एस रावत, ए. ई. एडीबी पी.डबल्यू.डी, उत्तराखण्ड

श्रम आयुक्त, उत्तराखंड सरकार

श्री गगन सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तराखण्ड

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला - देहारादून

श्री कुलदीप सिंह, एस. आई., थाना - विकास नगर

मेसर्स लिंक इंटरप्राइजेज़, हरिद्वार

श्री अनिल जेटली

अभ्यावेदक

1. श्री खजान सिंह
2. श्री जी एस चौहान
3. श्री दलीप सिंह
4. श्री भागी राम